119

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

पत्रांक प्र06-अन्नपूर्णा- 01/2005(खण्ड) 4604 /खाद्य,पटना, दिनांक- 28.8.08

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत मृत लाभुकों के स्थान पर नये लाभुकों का चयन करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सीमित करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि विभागीय पत्रांक- 890 दिनांक- 13-4-2005 द्वारा अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत मृत लाभुकों के स्थान पर नये लाभुकों के चयन हेतु दिशा-निर्देश दिये गये हैं ।

2- जिलों से प्राप्त सूचनानुसार अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत लक्षित लाभुकों की मृत्यु हो जाने पर रिक्त स्थान के विरूद्ध लाभुकों का विधिवत चयन करने में समय लगने के कारण तत्काल उनका आवंटित खाद्यान्न का उठाव नहीं हो पाता है ।

अतएव अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत खाद्यान्न का शत-प्रतिशत उठाव सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिला पदाधिकारी अपने-अपने जिला में लक्ष्य से 20 (बीस) प्रतिशत अधिक लाभुकों को पैनल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम सभा/वार्ड सभा के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया को अनुशरण कर तैयार करें । अन्नपूर्णा लाभुकों की मृत्यु के फलस्वरूप निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने हेतु उसी पैनल से वरीयता के आधार पर लाभुकों का अविलम्ब चयन कर इस योजनान्तर्गत उन्हें खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित कराया जाय । पैनल की वैधता एक वर्ष की होगी तथा अगले वर्ष पैनल बनाते समय पिछले वर्ष के बचे लाभार्थियों की वरीयता उपर में निर्धारित रहेगी ।

विश्वासभाजन

ह० 28/08/08

सरकार के सचिव ।

ज्ञापंक प्र06-अन्नपूर्णा- 01/2005 (खण्ड) 4604 /खाद्य,पटना, दिनांक- 28.8.08

प्रतिलिपि सभी उप निदेशक, खाद्य/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्त्ति),पटना/सभी जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह० 28/08/08

सरकार के सचिव ।